

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 78/2015-16 (रेलवे) 1181 / भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 8/10/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- कैथिया सीट नं0-1, थाना नं0- 752, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई ए.एम.सी.एस. प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- कैथिया सीट नं0-1, थाना नं0- 752, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 3.023 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						0.0351	आलमा हाँसदा, पिता- रधु हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
2						0.0176	आलमा हाँसदा, पिता- डोमन हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
3						0.0175	बाबुराम हाँसदा, पिता- डोमन हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
4						0.0118	बाबुलाल हाँसदा, पिता- कारु हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
5	2	8	निजी	धानी II	0.562	0.0117	मुनिलाल हाँसदा, पिता- कारु हाँसदा, ग्राम- कैथिया	8 अंश	8 अंश	9	7
6						0.0117	सुरेन्द्र हाँसदा, पिता- कारु हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
7						0.0176	एतवारी हाँसदा, पिता- बधराय हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
8						0.0175	शुकलाल हाँसदा, पिता- लाल हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
9						0.1405	आलमा हाँसदा, पिता- रधु हाँसदा, ग्राम- कैथिया				

10						0.1405	आलम हॉसदा, पिता- छोटा आलम हॉसदा, ग्राम- कैथिया				
11						0.1405	खतियानी रैयत- राय हॉसदा के वंशज				
12						0.301	खतियानी रैयत- गतु मरांडी के वंशज				
13						0.051	गंगाराम मरांडी, पिता- शिकर मरांडी, ग्राम- कैथिया				
14						0.050	वकील मरांडी, पिता- शिकर मरांडी, ग्राम- कैथिया				
15	7	10	निजी	धानी II	0.602	0.050	डेड मरांडी, पिता- शिकर मरांडी, ग्राम- कैथिया	10 अंश	10 अंश	12	9
16						0.075	बली मरांडी, पिता- पृथ्वी मरांडी, ग्राम- कैथिया				
17						0.075	पटवारी मरांडी, पिता- पृथ्वी मरांडी, ग्राम- कैथिया				
18						0.02975	खतियानी रैयत- पतर सोरेन के वंशज				
19						0.00500	बाबु सोरेन, पिता- दशरथ सोरेन, ग्राम- कैथिया				
20						0.00500	मलीक सोरेन, पिता- दशरथ सोरेन, ग्राम- कैथिया				
21						0.00990	मरांग सोरेन, पिता- नटु सोरेन, ग्राम- कैथिया				
22						0.00990	साहेब सोरेन, पिता- नटु सोरेन, ग्राम- कैथिया				
23						0.00990	दशरथ सोरेन, पिता- प्रधान सोरेन, ग्राम- कैथिया				
24	9	7	निजी	धानी II	0.238	0.00990	टकला सोरेन, पिता- प्रधान सोरेन, ग्राम- कैथिया	7 अंश	भागन	8	6
25						0.00990	दरोगा सोरेन, पिता- प्रधान सोरेन, ग्राम- कैथिया				
26						0.02975	खतियानी रैयत- मतु सोरेन के वंशज				
27						0.02975	देवीराम सोरेन, पिता- सीता राम सोरेन, ग्राम- कैथिया				
28						0.02975	श्री राम सोरेन, पिता- सीताराम सोरेन, ग्राम- कैथिया				
29						0.05950	जीतलाल सोरेन, पिता- भदराय सोरेन, ग्राम- कैथिया				
30						0.0300	दिना मुर्मू, पिता- कबिराज मुर्मू, ग्राम- कैथिया				
31	11	14	निजी	धानी II	0.060	0.0025	तरवार मुर्मू, पिता- बाबुराम मुर्मू, ग्राम- कैथिया				


32					0.0025	आनोद मुर्मू, पिता- बाबुराम मुर्मू, ग्राम- कैथिया				
33					0.0050	होपन मुर्मू, पिता- जबदीश मुर्मू, ग्राम- कैथिया				
34					0.0050	मंजु मुर्मू, पिता- जगदीश मुर्मू, ग्राम- कैथिया				
35					0.0050	गिरघारी मुर्मू, पिता- जगदीश मुर्मू, ग्राम- कैथिया				
36					0.0050	राम मुर्मू, पिता- जगदीश मुर्मू, ग्राम- कैथिया				
37					0.0050	लखन मुर्मू, पिता- जगदीश मुर्मू, ग्राम- कैथिया				
38					0.120	खतियानी रैयत- छोटा मनी किस्कु के वंशज				
39					0.010	रधुनाथ किस्कु, पिता- सगराम किस्कु, ग्राम- कैथिया				
40					0.010	फगू किस्कु, पिता- सगराम किस्कु, ग्राम- कैथिया				
41					0.010	पेरु किस्कु, पिता- सगराम किस्कु, ग्राम- कैथिया				
42					0.030	खतियानी रैयत- पेरु किस्कु के वंशज				
43	15	12	निजी	धानी II	0.600	ललीता मुर्मू, पति- रधुनाथ किस्कु, ग्राम- कैथिया	12,11 अंश	12 अंश	13	10
44					0.015	संझला किस्कु, पिता- दुजा किस्कु, ग्राम- कैथिया				
45					0.015	रधुनाथ किस्कु, पिता- दुजा किस्कु, ग्राम- कैथिया				
46					0.120	खतियानी रैयत- डायको किस्कु के वंशज				
47					0.120	सगराम किस्कु, पिता- मनीजर किस्कु, ग्राम- कैथिया				
48					0.120	खतियानी रैयत- छोटा सगराय किस्कु के वंशज				
49					0.0489	बाबुराम किस्कु, पिता- संझला किस्कु, ग्राम- कैथिया				
50					0.0489	साहेबराम किस्कु, पिता- संझला किस्कु, ग्राम- कैथिया				
51	16	9	निजी	धानी II	0.587	जितन किस्कु, पिता- संझला किस्कु, ग्राम- कैथिया	9 अंश	9 अंश	10	8
52					0.2935	खतियानी रैयत- मथुर किस्कु के वंशज				
53					0.0245	खतियानी रैयत- छेना किस्कु के वंशज				
54					0.0082	तालाबाबू किस्कु, पिता- मिर्जा किस्कु, ग्राम- कैथिया				

55						0.0082	जतन किस्कु, पिता- मिर्जा किस्कु, ग्राम- कैथिया				
56						0.0081	बाबुलाल किस्कु, पिता- मिर्जा किस्कु, ग्राम- कैथिया				
57						0.0367	पहाल किस्कु, पिता- मुन्शी किस्कु, ग्राम- कैथिया				
58						0.0366	बाबुजी किस्कु, पिता- मुन्शी किस्कु, ग्राम- कैथिया				
59						0.0245	खतियानी रैयत- मारांग बाबु किस्कु के वंशज				
60						0.063	रायसेन हाँसदा, पिता- बबलू हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
61	18	13	निजी	धानी II	0.374	0.062	लखीराम हाँसदा, पिता- बबलू हाँसदा, ग्राम- कैथिया	11	13 अंश	14	12
62						0.062	संजय हाँसदा, पिता- बबलू हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
63						0.187	राम हाँसदा, पिता- रायसेन हाँसदा, ग्राम- कैथिया				
कुल :-					3.023	3.0230					

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


 6/10/18
 उपायुक्त,
 गोड्डा।

ज्ञापांक 1181/भू0अ0 दिनांक :- 8/10/18 ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे । साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।



6/10/18
उपायुक्त,
गोड्डा ।

ज्ञापांक 1181/भू0अ0 दिनांक :- 8/10/18 ।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा/अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे ।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ।


6/10/18
उपायुक्त,
गोड्डा ।

ज्ञापांक 1181/भू0अ0 दिनांक :- 8/10/18 ।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संचाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


6/10/18
उपायुक्त,
गोड्डा ।